

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-17/एल 2 -04/2018

पटना, दिनांक :-

डा० समीक्षा, सीनियर रेजिडेंट, शिशु रोग विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को दिनांक-28.05.2018 से 23.11.2018 तक बिहार सेवा संहिता के नियम-220 के तहत मातृत्व अवकाश (180 दिन) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(कौशल किशोर)  
सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक- 17/एल 2 -04/2018 - 845 (17) पटना, दिनांक :- 11/12/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/डा० समीक्षा, सीनियर रेजिडेंट, शिशु रोग विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा-02 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के संयुक्त सचिव।